कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/स्थानान्तरण/वो–2 दिनांक 25.09.2021 द्वारा नरेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य राउमावि बम्बोली, रामगढ जिला अलवर का स्थानान्तरण राउमावि तलवाड, बहरोड जिला अलवर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध नरेश कुमार गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5024/2021 नरेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.10.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री नरेश कुमार गुप्ता के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। साथ ही माननीय अधिकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार अपीलार्थी का पदस्थापन जिले में ही करता है एवं अपीलार्थी का कोष कार्यालय परिवर्तित नहीं होता है तो स्थगन आदेश उसमें बाधक नहीं होगा।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश के अनुसरण में एवं श्री नरेश कुमार गुप्ता की निकट सेवानिवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 को अपीलार्थी श्री नरेश कुमार गुप्ता की हद तक एतद द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/नरेश गुप्ता/5024/2021/288 दिनांकः 21/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)